राजस्थान सरकार
चिकित्सा शिक्षा (ग्रुप–1) विभाग

21 JUL 2014

क्रमांक : प. 1(94)एम.ई./ग्रुप–1/2012 जयपुर, दिनांक :

## –: : आदेश : :–

इस विभाग के आदेश क्रमांक प. 1(1)एम.ई./ग्रुप–1/2011, दिनांक 14.9.2012 के द्वारा डॉ0 मोहम्मद इकबाल खान की नियुक्ति सहायक आचार्य, पीएसएम के पद पर कार्यग्रहण की तिथि से दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर अस्थाई रूप से की जाकर उनका पदस्थापन मेडिकल कॉलेज, अजमेर में किया गया था। डॉ0 खान ने दिनांक 15.9.2012 को कार्यग्रहण किया।

परिवीक्षा अवधि में डॉ0 खान दिनांक 04.10.2013 से लगातार बिना अनुमति के स्वेच्छा से अपने कार्यस्थल से अनुपस्थित है। कार्य पर लौटने हेतु डॉ0 खान को दिनांक 10.12.2013 एवं दिनांक 19.2.2014 को रजिस्टर्ड नोटिस भी प्रेषित किया गया। उनके द्वारा रजिस्टर्ड पत्र दिनांक 19.2.2014 लेने से इन्कार किया गया तथा कार्य पर नहीं लौटे।

इससे यह स्पष्ट है कि डॉ0 खान राजकीय सेवा करने के इच्छुक नहीं है। अतः डॉ0 खान के सेवा से अनुपस्थित रहने के फलस्वरूप उनके परिवीक्षा काल को असन्तोषजनक मानते हुए राजस्थान चिकित्सा सेवा (कॉलेज शाखा) नियम, 1962 के नियम 27 के उपनियम (1) के प्रावधान अनुसार डॉ0 मोहम्मद इकबाल खान की सहायक आचार्य, पीएसएम के पद की सेवा एतदद्वारा समाप्त की जाती हैं।

आज्ञा से,

(धन्ना लाल)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं :–

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राज., जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सहायक, शासन संयुक्त सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
5. प्रधानाचार्य एवं नियन्त्रक, मेडिकल कॉलेज, अजमेर को उनके पत्रांक 13638/संस्थापन –1/एमसीए/2014, दिनांक 07.4.2014 के सन्दर्भ में मय एक अतिरिक्त प्रति के – डॉ0 मोहम्मद इकबाल खान को डिलीवर कराये जाने हेतु।
5. डॉ0 मोहम्मद इकबाल खान (सहायक आचार्य, पीएसएम) पुत्र श्री यासीन खाँ, C/o श्री लियाकत खाँ, कब्रिस्तान के पास, खान मौहल्ला, कुचामन सिटी, नागौर (राज.)–341508 **को रजिस्टर्ड ड़ाक से।**
6. श्री पी.पी. तिवाडी, सहायक प्रोग्रामर को विभागीय वेबसाईट पर प्रचारित करने हेतु।
7. निजी/रक्षित पत्रावली।

शासन उप सचिव